

रुद्रा । हरिनिह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

2

वकील शर्मा उप० । अशरफगिरा को पुनः तबल कर
तबलाना पेश करे । दिनांक 20-6-22 को पेश हों ।

20-6-22 पत्रावली पेश हुई । पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं ।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक... 22-8-22
को पेश हो ।

रीडर

22-8-22 पत्रावली पेश हुई । पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं ।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक..... 18-10-22
को पेश हो ।

रीडर

18-10-22 वकील शर्मा उप० अशरफगिरा को पुनः तबल कर तबलाना
आन ही पेश करे । अथवा शरण खारिज कर दिया जावेगा
नसम्पत्तों के सिद्धि । 15-11-22 को पेश हो ।

15-11-22 पत्रावली पेश हुई । शरण को मूल नवा अस्म दाजरी/पंक्ति
में खारिज हेंधुका है । अतः शरण भी अस्म दाजरी में
खारिज किया जाता है । पत्रावली फंसल शुमार देखकर
दाखिल लेख गठार हें ।